रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—72 REGISTERED No. D. (D.N.)—72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 14] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 13, 1982/पौष 23, 1903
No. 14] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 13, 1982/PAUSA 23, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 1982

का. आ. 16(अ)/18-कक/औ. वि. वि./82.—भारत सरकार के भूत-पूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के (समय-समय पर यथा संशोधित) आदेश सं. का. आ. 22(अ)/18-कक/औ. वि. वि. आ./73, तारीख 15 जनवरी, 1973 द्वारा श्री जानकी शुगर मिल एण्ड कम्पनी, दोइवाला, जिला देहरादून (उत्तर प्रदेश) नाम औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 (1951 का 65) की धारा 18-कक की उप-धारा (1) के अधीन 14 जनवरी, 1982 तक, जिसके अन्तर्गत यह तारीख भी है, 9 वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण कर लिया गया था, और उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड

को उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया गया था ;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम को उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड के प्रबन्ध के अधीन 30 सितम्बर, 1982 तक की और अवधि तक रखा जाए ।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-क की उप-धारा (2) के परन्तुक के साथ पठित धारा 18-कक की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि ऊपर वर्णित आदेश 30 सितम्बर, 1982 तक, जिसके अन्तर्गत यह तारीख भी है, की और अवधि तक प्रभावी बना रहेगा ।

[फा. सं. 4(11)/72-सी. यू. एस.]

चन्द्र किशोर मोदी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 13th January, 1982

S.O. 16(E)/18AA/IDRA/82.—Whereas by the order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development, No. S.O. 22(E)/18AA/IDRA/73, dated the 15th January, 1973 (as amended from time to time), the management of the industrial undertaking known as Shri Janki Sugar Mills and Company, Doiwala, District Dehradun (Uttar Pradesh) was taken over under sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period of 9 years upto and inclusive of 14th January, 1982 and the Uttar Pradesh State Sugar Corporation Limited was authorised to take over the management of the said industrial undertaking ;

And, whereas, the Central Government is of opinion that it is expedient in the public interest that the said industrial undertaking should continue under the management of the Uttar Pradesh State Sugar Corporation Limited for a further period upto and inclusive of 30th September, 1982.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA read with the proviso to sub-section (2) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) the Central Government hereby directs that the order mentioned above shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of 30th September, 1982.

[F. No. 4(11)/72-CUS]

C. K. MODI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982